कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 830 /सम्पदा गो–लाईव–53 /2015 भोपाल, दिनांक 04.07.2015

प्रति

सचिव, खनिज संसाधन विभाग,
आयुक्त, उद्योग,
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल,
आयुक्त, नगरीय प्रशासन,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय – भौतिक स्टाम्पों पर निष्पादित किए गए दस्तावेज अविलम्ब पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत जैसा कि आप अवगत हैं, दिनांक 01 जुलाई, 2015 से सम्पूर्ण प्रदेश में **सम्पदा** परियोजना के तहत् दस्तावेजों का ई–पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। पहले चरण में दस्तावेजों के ई–पंजीयन का कार्य वैकल्पिक है, अर्थात् दस्तावेजों के पंजीयन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया जारी है, किन्तु जो पक्षकार अपने दस्तावेज ई–पंजीकृत कराना चाहते हैं, वे उक्त ऑनलाईन प्रक्रिया से ऐसा कर रहे हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि इस चरण में भी ऐसे दस्तावेज, जो खनि कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण, नगरीय संस्थाओं आदि द्वारा अथवा उनके पक्ष में निष्पादित किए जाते हैं, अनिवार्य रूप से ई–पंजीकृत कराए जाएं। इससे ई–स्टाम्पिंग एवं ई–पंजीयन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर Stable बन सकेगी।

कृपया समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि ऐसे दस्तावेज, जो भौतिक स्टाम्पों पर निष्पादित किए गए हों, अविलम्ब पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएं, क्योंकि शीघ्र ही पंजीयन की मैनुअल प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी और चूंकि सम्पदा ई–पंजीयन के अन्तर्गत ई–पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेज एप्लीकेशन में ही डीड ड्राफ्टिंग मॉड्यूल के तहत् तैयार किए जाते हैं, अतः भौतिक रूप से निष्पादित दस्तावेजों का पंजीयन संभव नहीं हो सकेगा।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

निरन्तर 2